उत्तर प्रदेश शासन
वित्त विभाग
संख्या-4/2024/बी-4- 779 /x-2024-10(28)/94
लखनऊ: दिनांक: 28 नवम्बर , 2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश सरकार की प्रत्याभूति मोचन निधि के गठन एवं प्रशासन के लिए योजना।

उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या-बी-4-46-2021/x-10(28)/94 दिनांक 29 जनवरी, 2021 और संख्या-418/2022/B-4/x-10(28)/94 दिनांक 31 दिसंबर, 2022 का अधिक्रमण करके उत्तर प्रदेश सरकार, एतद्द्वारा मोचन निधि की स्थापना के लिए योजना को निम्नानुसार अधिसूचित करती है :

योजना का शीर्षक	1	यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की 'प्रत्याभूति मोचन निधि' (जिसे आगे 'निधि' कहा गया है) योजना कहलायेगी।
निधि का सृजन	2	उत्तर प्रदेश सरकार (जिसे आगे 'सरकार' कहा गया है) द्वारा राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों की ओर से निर्गत प्रत्याभूति से उद्भूत होने वाले अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए एक 'प्रत्याभूति मोचन निधि' सृजित की जायेगी। निधि का सृजन सरकार के लोक लेखा में किया जाएगा तथा इसका वर्गीकरण लेखाशीर्ष "8235- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ-117- प्रत्याभूति मोचन निधि-01- प्रत्याभूति मोचन निधि" में किया जाएगा।
योजना का उद्देश्य	3	इस निधि का उपयोग राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा निर्गत बंध पत्रों एवं अन्य ऋणों के संबंध में सरकार द्वारा निर्गत प्रत्याभूतियां जो हितधारकों द्वारा निवेदित की गयी हों, से उद्भूत होने वाली भुगतान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। स्पष्टीकरण (क) निधि में संचित धनराशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा निर्गत की गई तथा लाभार्थी द्वारा निवेदित की गयी प्रत्याभूतियों के भुगतान के लिए किया जायेगा और उस संस्था द्वारा भुगतान नही किया जायेगा जिसकी ओर से प्रत्याभूति निर्गत की गयी थी। (ख) राज्य, अस्थायी नकदी प्रवाह विसंगतियों को पूरा करने के लिए, निधि में किए गए निवेश के संपार्श्विक के विरुद्ध, भारतीय रिजर्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) से विशेष

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		आहरण सुविधा (एसडीएफ) के तहत अल्पकालिक सुविधा का लाभ उठा सकता है, जो समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगा।
योजना के क्रियान्वयन का प्रारंभ	4	योजना अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी।
निधि में अभिदान	5	(क) सरकार को निधि के गठन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर अदत्त प्रत्याभूतियों के पांच प्रतिशत तक के निधि कोष का निर्माण करने की दिशा में सचेष्ट प्रयास करना चाहिए। (ख) सरकार स्व विवेकानुसार तथा संभावित निवेदित की जाने वाली प्रत्याभूतियों के अपने आंकलन के आधार पर निधि में अभिदान बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। निधि में शेष राशि को वार्षिक या लघु अंतराल पर आवधिक अभिदान के साथ बढ़ाया जाएगा। (ग) निधि में अभिदान की कुल धनराशि के हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए, सरकार द्वारा बजट के राजस्व व्यय पक्ष के अंतर्गत लेखाशीर्ष "¬2075- विविध सामान्य सेवाएं- 797-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण - 03- प्रत्याभूति मोचन निधि" के अंतर्गत उपयुक्त बजट का प्रावधान किया जायेगा। (घ) सरकार द्वारा निधि में अपने अभिदान का वित्तपोषण बैंक से लिये गये ऋण से नही किया जायेगा।
सामान्य राजस्व/लोक लेखा खाते के साथ निधि का संबंध	6	(क) निधि के कोष में, सरकार द्वारा निर्धारित कोई आरंभिक राशि, सरकार द्वारा किया गया वार्षिक या अन्य अभिदान निधि में प्राप्त होने वाली आय के अतिरिक्त, उन संस्थाओं से एकत्रित प्रत्याभूति कमीशन के रूप में आवधिक वृद्धि भी सम्मिलित होती है, जिनके बन्ध-पत्रों/दायित्वों के सम्बन्ध में सरकार प्रत्याभूति निर्गत करेगी। (ख) निधि को सरकार के सामान्य राजस्व से पृथक रखा जायेगा। तथा इसका उपयोग केवल इस योजना में विहित रीति से किया जाएगा।
निधि का प्रशासन	7	निधि का प्रशासन बैंक के केंद्रीय लेखा अनुभाग द्वारा किया जाएगा, जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किए जाने वाले दिशा-निर्देशों/अनुदेशों के अधीन होगा।
कोष की निधि का निवेश	8	निधि में वृद्धि के साथ-साथ निधि के निवेश पर अर्जित आय को भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, राजकोषीय बिलों, भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों तथा अन्य राज्यों

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में ऐसी परिपक्वता अवधि के रूप में निवेश किया जायेगा, जैसा कि बैंक समय-समय पर निर्धारित करेगा। बैंक अपनी निवेश संग्रह से या द्वितीयक बाजार से प्रतिभूतियॉ प्राप्त करके, प्रस्तर-11 में निर्दिष्ट अधिभार के अतिरिक्त कोई अन्य अधिभार लगाये बिना, निवेश के लिए प्रतिभूतियॉ उपलब्ध कराएगा।

संव्यवहारों का लेखांकन 9

(क) निधि के प्रशासन का उत्तरदायित्व सरकार का होगा। सरकार कोष की निधि के निवेश, पुनर्निवेश/विनिवेश, निधि के दायित्वों और उपयोग आदि से संबंधित सभी प्रकरणों पर निर्णय लेगी।

(ख) सरकार समय-समय पर बैंक को निर्देश निर्गत करेगी। बैंक तत्काल आवश्यक निवेश करने की व्यवस्था करेगा। बैंक, निवेश तथा अन्य आनुषांगिक प्रभारों यथा ब्रोकरेज, कमीशन आदि से सम्बन्धित डेबिट का मसौदा सामान्य तरीके से सरकार को प्रेषित करेगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि के निवेश से सम्बन्धित संव्यवहार अन्य संव्यवहारों के साथ मिश्रित न हों, इन्हें पृथक-पृथक मसौदों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जा सकता है।

(ग) मसौदें प्राप्त होने पर निवेश सम्बन्धी संव्यवहारों का लेखांकन "8235- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां-120-प्रत्याभूति मोचन निधि-निवेश खाता" लेखाशीर्ष के अंतर्गत किया जाएगा। यद्यपि, ब्रोकरेज, कमीशन आदि जैसे आनुषांगिक शुल्कों को निधि पर प्रभार के रूप में लिया जाएगा।

(घ) बैंक इन प्रतिभूतियों पर ब्याज संग्रहित करने तथा नियत तिथि पर उसे निधि में जमा करने की व्यवस्था करेगा। इसके अतिरिक्त इनको सरकार के अभिदान की भांति, निवेशित किया जाना आवश्यक होगा, अर्थात, उपर्युक्त प्रस्तर 8 में विहित निवेश सम्बन्धी मानदंडों के अनुसार।

(ड़) प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर, आगमों को संग्रहित किया जाएगा और सरकार के खाते में जमा किया जाएगा या सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के आधार पर उपर्युक्त प्रस्तर 8 में रेखांकित व्यवस्था के अनुसार पुनर्निवेश किया जाएगा। डेबिट मसौदे की भांति, प्राप्तियों के लिए बैंक द्वारा पृथक मसौदे का उपयोग किया जायेगा।

(च) सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त होने पर, बैंक प्रतिभूतियों

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

का विक्रय प्रचलित मूल्य पर करने की व्यवस्था करेगा और प्राप्त राशि को, आनुषांगिक प्रभारों को घटाकर, सरकार के खाते में जमा करेगा। यदि ये प्रतिभूतियाँ घाटे में हैं, तो बैंक सरकार के परामर्श से प्रतिभूतियों को परिसमाप्त करने का निर्णय ले सकता है।

(छ) प्रतिभूतियों की परिपक्वता अथवा विक्रय से होने वाली प्राप्तियों को " प्रत्याभूति मोचन-निधि निवेश खाते" के खाते में जमा किया जाएगा। विक्रय में होने वाले आनुषांगिक प्रभारों को निधि पर भारित किया जायेगा।

(ज) प्रत्याभूति मोचन के कारण होने वाले व्यय का प्रावधान सरकार के आय-व्ययक में सुसंगत लेखाशीर्ष के अधीन किया जायेगा। प्रत्याभूति मोचन हेतु व्यय की केवल वास्तविक धनराशि ही लेखाशीर्ष ''8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियॉ-120-प्रत्याभूति मोचन निधि-निवेश-खाता'' के अधीन लेखांकित की जायेगी।

(झ) बैंक परिपक्वता पर प्रतिभूतियों के मोचन करने की व्यवस्था करेगा। समय से पूर्व विनिवेश की दशा में, दावों के भुगतान के दायित्व को पूरा करने के लिए बैंक परिसमाप्त की जाने वाली प्रतिभूतियों पर निर्णय लेगा और प्रतिभूतियों को प्रचलित मूल्य पर बेचेगा तथा प्राप्त राशि को, आनुषांगिक प्रभारों को घटाकर, सरकारी खाते में जमा करेगा। यदि ये प्रतिभूतियाँ घाटे में हैं, तो बैंक सरकार के परामर्श से प्रतिभूतियों को परिसमाप्त करने का निर्णय ले सकता है।

(ण) सरकार के परामर्श से बैंक द्वारा निर्धारित दर पर, सरकार बैंक को कमीशन का भुगतान करेगी। यह अधिभार भी प्रस्तर 9 (ग) और 9 (छ) में दर्शाए गए शुल्कों की भांति निधि द्वारा वहन किए जाएंगे। प्रतिभूतियों के विक्रय से होने वाली हानि या लाभ को भी निधि के खाते में लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण

(क) ऐसे प्रत्याहरण के फलस्वरूप सरकार को डेबिट का लेखांकन मुख्य लेखाशीर्ष "8235- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां-120- प्रत्याभूति मोचन निधि-निवेश खाता" के अंतर्गत किया जाएगा। ऋण की परिपक्वता पर लेखाशीर्ष ''8235- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां-117-

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		प्रत्याभूति मोचन निधि'' के अंतर्गत अवशेष राशि को लेखाशीर्ष "8680- विविध सरकारी लेखे-101-खाता शेष समायोजन लेखा" में जमा किया जाता है। (ख) बैंक सरकार को निवेश के कारण होने वाले ऋण में से सामान्यतः प्रयोज्य होने वाले आकस्मिक अधिभारों को घटाकर राशि देगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि के निवेश से सम्बन्धित संव्यवहार अन्य संव्यवहारों के साथ मिश्रित न हों, इन्हें पृथक-पृथक मसौदों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। (ग) बैंक निवेश पर नियत तिथियों पर ब्याज संग्रहित करने तथा उसे निधि में जमा करने की व्यवस्था करेगा। (घ) बैंक, प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर, प्रतिभूतियों का मोचन कराये जाने की व्यवस्था करेगा और समय से पूर्व विनिवेश के प्रकरण में, प्रतिभूतियों का विक्रय प्रचलित मूल्य पर करेगा तथा प्राप्त राशि से अनुषांगिक अधिभारों को घटाते हुए प्रत्याभूति मोचन निधि निवेश खाते में जमा करेगा। डेबिट मसौदों के प्रकरण में, बैंक प्राप्तियों के लिए पृथक मसौदों का प्रयोग करेगा। (ड़) आवधिक अभिदान पर व्यय के लिए सरकार के आय व्ययक से संबंधित लेखाशीर्ष के अन्र्तगत प्रावधान किया जाएगा। निधि से वित्तपोषित किए जाने वाले व्यय की सीमा तक धनराशि का निधि से प्रत्याहरण निवेश के निपटान द्वारा किया जायेगा।
निधि का प्रबंधन करने वाले बैंक के कार्य	10	(क) निधि से समय समय पर निवेश/पुनर्निवेश/विनिवेश/ पुनर्आवंटन/प्रत्याहरण से संबंधित सभी प्रकरणों में बैंक सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा निर्देशित होगा तथा तदनुसार कार्य करेगा। (ख) बैंक प्रस्तर 5 में उल्लिखित अभिदानों की सूची के अनुसार अपने पास रक्षित सरकार के खाते को डेबिट बढाने की व्यवस्था करेगा। (ग) निधि में किये गये अभिदानों का निवेश बैंक द्वारा प्रस्तर 8 में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार किया जाएगा। प्रत्याभूति शुल्क, सरकार द्वारा किये गये अभिदानों और ब्याज से होने वाली आय के माध्यम से निधि में आवधिक वृद्धि को भी बैंक द्वारा इसी रीति में निवेशित किया जायेगा (घ) विगत वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को निधि में बकाया कोष का 50 प्रतिशत अथवा उस वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान निवेदित की गई प्रत्याभूतियों की राशि, जो भी कम हो, को

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		वर्ष के दौरान निधि से प्रत्याहरण के लिए अधिकतम पात्र सीमा तक पहुंचने के लिए आगणित किया जाना चाहिए। सरकार अगला प्रत्याहरण करने से पूर्व कोष की पुनः पूर्ति करेगी। (ई) बैंक सरकार के परामर्श से अवशेष राशि का आवधिक विवरण/उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में सलाह प्रस्तुत करेगा।
निधि के प्रशासन हेतु सेवा अधिभार	11	सरकार बैंक को, निधि के टर्नओवर के एक प्रतिशत के 1/8 प्रतिशत की दर से अथवा समय-समय पर पारस्परिक सहमति से निर्धारित की जाने वाली दर पर कमीशन का भुगतान करेगी।
लेखा और संपरीक्षा	12	निधि और निवेशों के लेखे को सामान्य रूप से राज्य के महालेखाकार द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा। सरकार का संबंधित विभाग सहायक लेखाओं को ऐसी रीति और विवरणों से अनुरक्षित करेगा जैसा कि सरकार द्वारा महालेखाकार के परामर्श से विचारण करके निर्धारित किया जायेगा।
व्यावृत्ति	13	सरकार योजना के सुचारू संचालन को सक्षम करने के लिए समय-समय पर विचारण करके योजना के प्रावधानों से संबंधित दिशा निर्देश निर्गत करेगी। योजना के किसी प्रावधान के संचालन में किसी भी कठिनाई की दशा में, सरकार यदि संतुष्ट हो तो ऐसे प्रावधानों को शिथिल कर सकती है।

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।